निर्णय

दिनांक : 01-12-2017

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 376/1175 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा ग्राम डोकन में अवस्थित है। भूमि खातेदारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की है। बुजुर्गान के समय से ही पक्षकार बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आए है।

स्वतंत्रता के समय पुराने सैटलमेन्ट के दौरान तत्समय प्रचलित संयुक्त हिन्दू परिवार पद्धती के अनुसार परिवार के मुखिया मंगल पुत्र परसा अकेले के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई थी लेकिन वास्तविकता में मौके पर बुजुर्गों के समय से ही पश्चिमी शरण की 1/2 हिस्से की भूमि पर मक्खन पुत्र भूरा काबिज काश्त चला आया था। जबानी विभाजन मंगल पुत्र परसा के जीवनकाल में ही हो गया था। मंगल पुत्र परसा के कोई पुत्र संतान नहीं थी इस कारण से मंगल पुत्र परसा ने अपने भाई श्योनारायण को 1/4 हिस्से की तथा भूरा को 1/2 हिस्से की भूमि विभाजित करके दे दी थी। छाजू पुत्र श्योनारायण गणेश्वर गोद चला गया था इस कारण से मंगल पुत्र परसा ने निर्देशानुसार 1/4 हिस्से की भूमि पूर्वी उत्तरी शरण की छीतर पुत्र गोपाल को काश्त हेतु तथा शेष 1/4 हिस्से की भूमि पूर्वी दक्षिणी शरण की गणपत पुत्र श्योनारायण को दी गई थी।

मंगल पुत्र परसा का भाई महादेव पुत्र शंकर अपनी भुआ के गोद चला गया था तथा मक्खन पुत्र भूरा की 1/2 हिस्से की भूमि जो पश्चिमी शरण की है पर मक्खन पुत्र भूरा के जीवनकाल से ही अपीलार्थीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त बाल्यावस्था से ही अपने पिता मक्खन के साथ-साथ काबिज काश्त चले आए है।

रेस्पो. नं. 1 ने चुपचाप काबिज खातेदारान काश्तकारान एवं मंगल पुत्र परसा के वारिसान को विधिवत नोटिस एवं सूचना दिए बिना तथा वारिसान एवं काबिज खातेदारान बाबत जांच किए बिना चुपचाप नामान्तकरण संख्या 116 तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 02.08.2016 को उक्त नामान्तकरण संख्या 116 ग्राम पंचायत डोकन की प्रमाणित प्रति मिलने पर हुई है। अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किए जाने योग्य है।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 116 ग्राम पंचायत डोकन मूलतः अवैध एवं वोईड है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा कोई मौका नहीं दिया गया। मंगल पुत्र परसा के वैध काबिज काश्त वारिसान बाबत भी कोई जांच नहीं की गयी। अपीलाधीन नामान्तकरण में मृतक खातेदार के पिता के सगे भाइयों श्योनारायण, शंकर एवं भूरा का नाम ही अंकित नहीं किया गया है जबकि परसा, श्योनारायण, शंकर, भूरा पुत्रान रूडा सगे भाई थे लेकिन चुपचाप बिना किसी जांच के हिन्दू ला एवं राजस्थान टैनेन्सी एक्ट एवं भू-राजस्व अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों

Scanned with OKEN Scanner

की अवहेलना एवं अवमानना करते हुए बिना किसी जांच के तथा बिना किसी नोटिस के चुपचाप नामान्तकरण संख्या 116 भरकर तस्दीक किया गय है जो मूलतः अवैध एवं वोईड है।

अतः नामान्तकरण संख्या 116 ग्राम पंचायत डोकन निरस्त किया जाकर भूमि ख.न. 376/1175 रकबा 0.71 है. वाके ग्राम डोकन की पश्चिमी शरण की 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम से बहैसियत वारिस रिकार्डेड खातेदार मृतक मंगल पुत्र परता दर्ज की जावे तथा विरासत का नामान्तकरण उपरोक्तानुसार मौके एवं पैतृक भूमि के कदीमी बाहमी विभाजन के अनुसा दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ विवादित नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2017-2020 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 98/05 , चार्ज शीट, नक्शा मौका मय हालात की फोटो प्रति पेश की गयी है।

उक्त तथ्यों के साथ अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को वास्ते सुनवाई जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 व 9 बाद तामील अनुपस्थित रहे है। शेष रेस्पो. मय अधिवक्ता श्री दर्शनसिंह सैनी के उपस्थित तथा अपीलान्ट की अपील बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट अपील बिन्दुओं को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की भूमि पैतृक है। नामान्तकरण भरते समय अपीलान्ट को नहीं सुना गया। अपने अपने हिस्से पर आज भी काबिज काश्त है। रेस्पो द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तकरण खारिज फरमाया जावे तथा अपीलान्ट्स के नाम से विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा की खातेदारी में नाम दर्ज फरमाया जावे। दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता रेस्पो. ने निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में हमे कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत सजरा खानदान से पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होना जाहिर होता है। विवादित नामान्तकरण संख्या 116 मंगला पुत्र परता गुसाई की विरासत का है। मंगला पुत्र परता गुसाई की विरासत प्रभू, छोटू, माला पि. गणपत कोम गुसाई हिस्सा बराबर के नाम दर्ज किया गया है। मुताबिक सजरा के गणपत मंगला का भाई था। इस प्रकार मंगला की विरासत उसके सगा भाई गणपत पुत्रों के नाम से दर्ज होना पाई जाती है। रेस्पो. संख्या 2 ता 8 व 10 जो गणपत व प्रभू के वारिसान है उनके द्वारा अपील बिन्दुओं को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जिनके पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक हुआ है उनको अपीलान्ट्स का हिस्से दर्ज करने में कोई उज्रात नहीं किया गया है अपितु रेस्पोडेन्ट्स अपील बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने की पुष्टि कर रहे है। आपसी सहमति का प्रकरण होने से प्रथमतः मियाद अधिनियम की धारा 5 न्यायहित में स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 116 ग्राम डोकन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि मृतक मंगला पुत्र परता गुसाई के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना
1.12.17